राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार : दिल्ली जल बोर्ड
कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी : (आर0टी0आई) : निदेशक (राजस्व)
कमरा न0 413 : वरुणालय फेज – II : करोल बाग नई दिल्ली –110005
इस आदेश के अवलोनार्थ दिल्ली जल बोर्ड की बेवसाईट
www.delhijalboard.nic.in

10040

क्रमांकः दि0ज0बो0 / प्र0अ0अ0(आर0टी0आई)अपील न0 1400 / 2015 / दिनांकः 12.8.2015

श्री नानक सिंह,
महासचिव, बाबा माखन शाह
लबाना समाज सुधार समिति,
आर0जैड0–261–ए, दुकान न0 4,
गली न0 19, तुगलकाबाद एक्सटेंशन,
नई दिल्ली–110019.

संयुक्त निदेशक (राजस्व) द0 / द0प0

आदेश

इस आदेश द्वारा श्री नानक सिंह के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 20–07–2015 (आई0डी0न0 3228) का निपटान किया गया।

दिनांक 12.08.2015 को अपील की सुनवाई की गई नियत समयानुसार अपीलकर्त्ता श्री नानक सिंह उपस्थित नहीं हुए एवं श्री देवराज मीना, क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (द0)– III, ग्रेटर कैलाश, जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रुप में उपस्थित हुए ।

प्रस्तुत अपील से पहले दिनांक 25.06.2015 को अपीलकर्त्ता ने जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में एक प्रार्थनापत्र दिया था जिस पर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण यह अपील दिनांक 20.07.2015 को दायर की । सहायक जनसूचना अधिकारी ने दिनांक 13.07.2015 को सम्बद्ध पूर्ण सूचना जनसूचना अधिकारी को अपीलकर्ता को प्रेषित करने हेतु भेज दी थी किन्तु जनसूचना अधिकारी ने सूचना अपीलकर्ता को भेजी या नहीं इसका जवाब वे नहीं दे सके । सहायक जनसूचना अधिकारी के रवैये से प्रतीत होता है उन्होंने आर0 टी0 आई0 के प्रार्थनापत्र को साधारण तरीके से लिया है ।

जनसूचना अधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि सहायक जनसूचना अधिकारी द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तरों की एक बार पुनः जांच करें, अगर अपीलकर्ता को गलत जानकारी प्रदान की गई है तो सहायक जनसूचना अधिकारी एवं सम्बन्धित कर्मचारी के

EXECUTIVE ENGINEER
DY. No. 4307
Date 19/8/15

खिलाफ उचित कार्यवाही करें एवं आवेदनकर्ता को इस आदेश के पारित होने के दस दिन के अन्दर सही सूचना उपलब्ध कराई जाए ।

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया ।

यदि अपीलकर्त्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्त्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकता हैं :—

केन्द्रीय सूचना आयोग,
द्वितीय तल, बी—विंग,
अगस्त कान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली— 110066

ह0
अमित सतीजा
प्रथम सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. श्री श्री नानक सिंह, महासचिव, बाबा माखन शाह लबाना समाज सुधार समिति,
आर0जैड0—261—ए, दुकान न0 4,गली न0 19, तुगलकाबाद एक्सटेंशन,
नई दिल्ली—110019.
2. संयुक्त निदेशक (राजस्व) द0 / द0प0
3. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (द0प0)—।।।, आर0के0पुरम ।
4. अधिशासी अभियन्ता (ई0डी0पी0), को दिल्ली जल बोर्ड की बेवसाइ ट पर इस आदेश को डालने हेतु।

13/8/15

प्रथम सूचना अधिकारी